न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 15/2017 (2017/00224) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—बक्षुनाथ पिता सुवानाथ योगी निवासी करेड़ा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3—गणेश पिता उदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

उपस्थित

फारूख मोहम्मद — **अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय

दिनांक 10.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला मै खातेदार उदा पिता रता कुमावत निवासी थला की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की साबिक आराजी संख्या 606 साबिक जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 मैं दर्ज रेकार्ड थी। उक्त साबिक आराजी संख्या 606 मे से 3 बिस्वा भूमि खातेदार ने राज्य पक्ष मै समर्पण की जरिये अन्तकाल नम्बर 812 से बिलानाम दर्ज रेकार्ड हुई तत्पश्चात साबिक नम्बर 606/1 रकबा 3 बिस्वा आबादी दर्ज होकर राजस्व नक्शा ट्रैस मै तरमीम होकर साबिक नक्शै मै उक्त आराजी संख्या 606/1 को दक्षिणी कोने पर फिट किया उक्त तरमीम अनुसार ही वर्तमान मै ग्राम पंचायत थला का पंचायत भवन निर्मित है। भू—प्रबंध होने पर साबिक आराजी 606/1 के नवीन नम्बर 388 रकबा 0.03 है0 कायम किये गये तथा नवीन रेकार्ड मै ग्राम पंचायत थला आबादी मैं दर्ज किया गया दौराने सेटलमेन्ट भू—प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को राजस्व नक्शै में हेर फेर तथा नवीन स्त्ररूप से अंकन करने का कोई विधिक आदेश नही होते हुए भी उन्होने नवीन आराजी 606/1 रकबा 0.03 है0 के नवीन नक्शै में गलत रूप सक तरमीम कर उसे उत्तरी कोने पर फिट कर दिया जबकि साबिक नक्शै में साबिक नम्बर 606/1 की तरमीम दक्षिणी पूर्वी कोने पर थी। इस प्रकार नवीन नक्शा गलत रूप से अंकन किया जिसे प्रार्थी पुनः साबिक नक्शै के अनुरूप दुरस्त कराने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 भूमिधारी है व 2 व 3 साबिक आराजी के सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 व 3 को राजस्व लोक अदालत 01.06.2018 को तलब किया गया किन्तु विपक्षी वाबजुद सूचना उपस्थित नही और न ही आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कोई जवाब पेश किया गया जिससे विपक्षी 2 व 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की और से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि गत रेकार्ड के मुकाबले प्रस्तावित संसोधन करने मे काई राज हित प्रभावित नही होता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर जवाब अंकित करने पर प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण को निस्तारित करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नवीन नक्शै में साबिक नक्शै के अनुरूप दक्षिणी पूर्वी कोने पर तरमीम कराये जाने का आदेश फरमावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी, खसरा मिलान, नामान्तरण संख्या 812 दिनांक 03.05.1983, नामान्तरकरण संख्या 833 दिनांक 04.09.1984 एवं नवीन राजस्व नक्शा दिनांक 04.10.2017 का अवलोकन करने पाया कि साबिक आराजी नम्बर 606 मे 3 बिस्वा भूमि जो खातेदार के द्वारा समपर्ण करने से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज होकर बाद में नामान्तरण संख्या 833 से आबादी में दर्ज हुई जो मूल खसरा नम्बर 606 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर तरमीम की गई जिसका खसरा नम्बर 606/1 रकबा 3 बिस्वा नक्शे और रेकार्ड में दशार्या गया है और साबिक आराली नम्बर 606/1 के नवीन भू प्रबन्ध के दौरान विभागीय मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 388 रकबा 0.03 है0 दर्ज हुआ एवं शेष खसरा नम्बर 606 रकबा 1 बिघा 13 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 389 बना अर्थात साबिक मूल खसरा नम्बर 606/1 एवं 606/2 के अनुसार ही नवीन भू प्रबन्ध के दौरान नम्बर एवं रकबा दर्ज होना चाहिए था जो नवीन नक्शा में दर्ज नही कर मौका स्थिति के विपरीत नवीन खसरा नम्बर 388 को दर्शाये गये है जिसको साबिक नक्शे के मुकाबले दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला के साबिक नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 606/1 रकबा 3 बिस्वा के स्थान पर नवीन आराजी नम्बर 388 रकबा 0.03 है0 भूमि की तरमीम की जावे एवं वर्तमान राजस्व नक्शा मे प्रदर्शित खसरा नम्बर 388 के रकबे को खसरा नम्बर 389 का भू भाग माना जावें।

पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 14:43:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: